Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

आशीष बनाम रविकान्त वगैरह

किस्त मुकदमा प्रा० प्रकरण नं. 133/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7/6/22	इस्तगासा प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 133 CrPC Act के तहत पेश किया। स्थानीय वकील प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम-दृष्टया प्रार्थी के हक में नजर आता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 31/10/22 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद से उक्त वर्णित आराजी [illegible] तहसील बयाना के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें इस बाबत कोई आपत्ति हो तो लिखित तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उप० हो प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो तलबाना का सम्मन दिनांक 31/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
21/10/22	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/2023 को पेश हो (हस्ताक्षर) रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/3/26	प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण मे जवाब प्रा० पत्र पेश नहीं। अतः आवश्यक रूप से पेश करे। प्रकरण दिनांक 2/5/26 को पेश हो। [signature]	
2/5/26	प्रकरण पेश हुआ। वि० प्रार्थी उप० वि० अप्रार्थी उप०। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं। जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाता है। वि० प्रार्थी द्वारा स्थगन बाबत निवेदन किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस मेज व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे आदेश दि० 7/6/22 से जारी अंतरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैजल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	